तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित–
श्री सी0पी0पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी

दिनांक : 03–04–2024

निर्णय

यह निगरानी भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा अपील सं. 62 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 05–07–2018 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया है। साथ में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी की ओर से धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर दिनांक 20–06–2018 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की। तत्पश्चात दिनांक 22–06–2018 को वाद में अंतिम डिक्री जारी किए जाने तक वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निस्तारण किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05–07–2018 को दर्ज कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की क्रियान्विति को स्थगित किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए। उनका तर्क है कि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के संबंध में विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के पश्चात तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने के उपरांत अंतिम डिक्री जारी की जानी है। ऐसी स्थिति में वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषय–वस्तु को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश की क्रियान्विती को स्थगित कर आराजी को खदु–बुर्द करने की अप्रार्थीगण को खुली छूट प्रदान कर दी जो कि न्याय की मंशा के विपरीत है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही उसके विरूद्ध आदेश पारित करना चाहिए। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन स्पीकिंग व नॉन रिजण्ड आदेश होने से उक्त आदेश को न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अंतरिम स्तर पर ही अपील को स्वीकार करने के समकक्ष आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एकतरफा में पारित किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील प्रार्थी को नहीं हो पाई। दिनांक 05–02–2024 को प्रार्थी को जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अविलम्ब निगरानी प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त सद्भाविक कारणों से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना स्वीकार किया जावे एवं निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–07–2018	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को निरस्त किया जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 05–07–2018 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22–06–2018 की क्रियान्विती को आगामी पेशी तक स्थगित करते हुए रेस्पो. को नोटिस जारी करने एवं तहत का रिकार्ड तलब किया है। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् हम न्यायहित में पक्षकारान के मध्य अनावश्यक वाद बाहुल्यता को रोकने एवं समुचित न्याय निर्णयन के उद्धेश्य से अपील का शीघ्र निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निर्णित की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि दोनों पक्षों को सुनकर अपील का एक माह में निस्तारण करें। तब तक वादग्रस्त आराजी के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	